कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद।

पत्राकः–474/2017 |705 दिनाकः अक्टूबर 14 2017।

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मैसर्स ए0वी0एस0 इण्डिया इन्फ्रा0 प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर 1091/1 मि0 ग्राम नूरनगर जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित <u>होटल भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे ।</u>

<u>यूआईडी नम्बर–2017/36028/जीजैडबी/गाजियाबाद/2351/सीएफओ0</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र दिनाकः 03.10.2017 के द्वारा प्रस्तावित भवन के मानचित्रो पर अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

संलग्नक मानचित्रो/अभिलेखो का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री संजीव कुमार यादव द्वारा किया गयां। उनके द्वारा प्रेषित संस्तुति आख्या दिनाकः 12.10.2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

<u>भवन की संरचनाः–</u>

कुल प्लाट एरिया–1660.00 वर्गमीटर।
प्रस्तावित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–904.86 वर्गमीटर।
प्रस्तावित लोअर ग्राउण्ड फलोर एरिया–586.68 वर्गमीटर।
प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–586.68 वर्गमीटर।
प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया–581.14 वर्गमीटर।
प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया–578.53 वर्गमीटर।
प्रस्तावित तृतीय तल कवर्ड एरिया–578.53 वर्गमीटर।
प्रस्तावित चतुर्थ/सर्विस तल कवर्ड एरिया–578.53 वर्गमीटर।
प्रस्तावित पंचम तल कवर्ड एरिया–513.38 वर्गमीटर।
प्रस्तावित छटवा तल कवर्ड एरिया–513.38 वर्गमीटर।
प्रस्तावित सांतवा तल कवर्ड एरिया–268.95 वर्गमीटर।

<u>प्रस्तावित भवन की ऊचाई–29.80 मीटर।</u>

<u>भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः</u>–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2016 मानक की होटल श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

<u>ढांचागत व्यवस्थाः–</u>

1–<u>पहुॅच मार्गः–</u> भूखण्ड के सामने मानचित्रो मे रोड की चौडाई 45 मी0 मानको के अनुसार अकिंत की गयी है। जो भवन नियमावली के मानको के अनुसार है।

2–<u>प्रवेश द्वारः–</u>प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 06.00 मीटर है।

3–<u>सैटबैकः–</u>

ए0–अग्रभाग–06.00 मीटर।
बी–पृष्ठभाग–06.00 मीटर।
सी–पार्श्व प्रथम–06.00 मीटर।
डी–पार्श्व द्वितीय–06.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियमावली 2008 यथा संशोधित 2011 के अनुसार है। भवन के चारो तरफ अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ के दृष्टिगत वाछिंत 6.00 मीटर मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4–<u>निकास मार्गः</u>–प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट से निकासी हेतु 02 स्टेयर कैस चौडाई 1.50 मीटर तथा ऊपरी तलो से निकासी हेतु 02 स्टेयर कैस क्रमशः 1.50 मी0 व 2.00 मीटर प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–<u>रिफ्यूज एरियाः</u>– प्रश्नगत भवन रिफयूज एरिया हेतु सातवे तल पर ऑपन टैरेस प्रस्तावित है। ।

<u>प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–</u> नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्कं के दृष्टिगत निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थाऐ कराया जाना आवश्यक है।

1–टैरिस टैक :–प्रस्तावित भवन की टेरेस पर टेरेस टैक क्षमता 20,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–भूमिगत टैकः–प्रश्नगत भवन मे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक क्षमता–1,50,000 लीटर मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

3–फायर पम्प–प्रस्तावित भवन में इलैक्ट्रिक फायर पम्प क्षमता 2280 एलपीएम के दो अदद एवं समान क्षमता का डीजल फायर पम्प तथा जॉकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 का प्राविधान किया जाना वॉछनीय है।

4–होजरील मय डाउन कमरः–प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइप आईएसः3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।

5–वेटराईजर सिस्टमः–प्रश्नगत भवन में वेटराईजर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

6–यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टमः–प्रश्नगत भवन मे यार्ड हाइड्रेन्ट सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना उंचित होगा।

7–ऑटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टमः–प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिकलर सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

8–ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम–प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक डिटेक्शन का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

9–मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वॉछनीय है।

10–फायर एक्सटिंग्यूशरः प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वॉछनीय है।

11–एग्जिट साइनेजः– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

12–पी0ए0सिस्टमः– प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे मैकेनिकल वैन्टीलेशन सिस्टम/स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वांछनीय है।

14–प्रेशराइजेशन सिस्टमः प्रश्नगत भवन मे प्रेशराईजेशन सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, कोतवाली की संस्तुति आख्यानुसार मैसर्स ए0वी0एस0 इण्डिया इन्फ्रा0 प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर 1091/1 मि0 ग्राम नूरनगर जनपद गाजियाबाद पर प्रस्तावित होटल भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा एन0बी0सी0–2016 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन मे अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाऐं मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः– अनुमोदित मानचित्र

14/10/18

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद।

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः–

1– अग्निशमन अधिकारी कोतवाली को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

2– मैसर्स ए0वी0एस0 इण्डिया इन्फ्रा0 प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर 1091/1 मि0 ग्राम नूरनगर जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ।